इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2012—ज्येष्ठ 4, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्र. एफ 1-16-2002-तेईस-आसां.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2012 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा या पद के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) ''समिति'' से अभिप्रेत है, चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति;

(घ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन इस सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा;

(ङ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(च) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(छ) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5 पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा;

(ठ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची-एक में यथा उल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे; अर्थात् :—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलरूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गए हों; और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—(1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) सेवा के सदस्य, वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/4, दिनांक 24-1-2008 के प्रावधानों के अधीन समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या साक्षात्कार द्वारा या दोनों द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या किन्हीं रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, आयोग के परामर्श से, अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग तथा आयोग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, सरकार द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**—चयन/परीक्षा के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) आयु—

(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) मध्यप्रदेश शासन सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतम आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिकबार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद ''छंटनी किया गया सरकारी सेवक'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह माह की कालावधि तक निरंतर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(ङ) (एक) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर,

सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के ऐसे भूतपूर्व सैनिक;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें नि:शक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो.

(दो) नेशनल कैडेट कोर में 1-1-1963 और उसके बाद पूर्णकालिक कैडेट/इन्स्ट्रक्टर के रूप में भर्ती किए गए व्यक्ति, नेशनल कैडेट कोर से निर्मुक्त होने पर उनकी मूल/बढ़ी हुई अवधि की समाप्ति पर, राज्य सरकार के अधीन सिविल पदों में नियोजन के प्रयोजन के लिये छंटनी किए गए सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे और उनकी वास्तविक आयु में से उनके द्वारा नेशनल कैडेट कोर में दी गई सेवाओं की कालावधि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी और यदि परिणामिक आयु, विशिष्ट पद की विहित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होती है तो वे उस पद की नियुक्ति की अधिकतम आयु की शर्तों को पूरा करते हुए माने जाएंगे बशर्ते कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1134-सी.आर.-88-1-(तीन)(66), दिनांक 27-5-1996 में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र रखते हों.

(च) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) उन अभ्यर्थी के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) विक्रम पुरस्कार धारक के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ट) नगर सेना (होमगार्ड्स) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नॉन कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा, 3 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(ठ) निराश्रित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

टिप्पण.—(1) ऐसी अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8(1)(घ) तथा (दो) में उल्लिखित रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए सम्मिलित किया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके बाद सेवा से त्याग-पत्र देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी.

टिप्पण.—(2) विभागीय अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में सम्मिलित/उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं**—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए :

परन्तु—

(क) आयोग आपवादिक मामलों में, सरकार के परामर्श से, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए पात्र ठहराता हो; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं

दी है, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा.

(3) **फीस.**—अभ्यर्थी को प्राधिकारी/आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता**—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिये किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(3) कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हुआ है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी.

(5) (एक) कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी एक पत्नी जीवित हो, सरकार की अनुमति के बिना पुनर्विवाह नहीं करेगा, चाहे पश्चात्वर्ती विवाह उसकी व्यक्तिगत विधि में अनुज्ञेय हो.

(दो) सरकारी सेवा की कोई भी महिला कर्मचारी, सरकार की अनुमति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी जिसकी पत्नी जीवित हो.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**—परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती.**—(1) द्वितीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार ऐसे अन्तरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार आयोग के परामर्श से, समय-समय पर, अवधारित करे.

(2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी, जो कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर, जारी करे.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार नि: शक्त अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वहां नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग सरकार से परामर्श के पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा.

(9) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(10) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों सकें. तो शेष रिक्तियां किसी अन्य प्रवर्ग से सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं भरी जाएंगी और रिक्तियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आगामी चयन के लिए आरक्षित रखी जाएगी.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि आयोग अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुये आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये, उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) आयोग द्वारा चयन सूची जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी जो आयोग की सहमति से छह माह की कालावधि के लिए बढ़ाई जाएगी.

13. **परिवीक्षा**—सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति, को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे :

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामनिर्देशित किए गए सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जातियों, अनुसूचितत जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी.

(2) अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए उसके कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

(3) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन.**—नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों तथा बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक साधारणतया वर्ष में कम से कम एक बार होगी.

15. **पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.**—(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिसने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर, जिससे की पदोन्नति की जानी है या जिन्हें सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसरण में विचारण क्षेत्र में हो.

स्पष्टीकरण—(1) **पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.**—सुसंगत वर्ष की जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कलैण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी.

(2) पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हों. यह सूची, चयन

सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त कालावधि के दौरान उद्‌भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिए एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी, जिसमें उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों के नाम सम्मिलित होंगे.

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अनुसार होगा.

(3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के मानदण्ड के क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण.—कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन किया जाएगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

17. **आयोग से परामर्श.**—विभागीय पदोन्नति समिति जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की जाए, की सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श की अपेक्षा के अनुपालन में की गई है तथा आयोग से पृथक् से परामर्श आवश्यक नहीं होगा.

18. **चयन सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (3) में दर्शाए गए पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची जब तक कि नियम 16 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणत: एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किए जाने की तारीख से 18 माह की कुल अवधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो.

20. **परीक्षण.**—सेवा में पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षण पर नियुक्त किया जाएगा.

21. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

22. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो.

23. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर, जारी किए गए निदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

24. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, हों, इन यिनमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में, एतद्‌द्वारा, निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु-क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की कुल संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	अपर संचालक	1	मध्यप्रदेश राज्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा (राजपत्रित प्रथम श्रेणी)	PB-4-Rs. 37400-67000+Rs. 8700 G.P.
2	संयुक्त संचालक	11	—तदैव—	PB-3-Rs. 15600-39100+Rs. 7600 G.P.
3	उपसंचालक/जिला योजना अधिकारी	45	—तदैव—	PB-3-Rs. 15600-39100+Rs. 6600 G.P.
4	चीफ प्रोग्रामर	1	—तदैव—	PB-3-Rs. 15600-39100+Rs. 6600 G.P.
5	सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी.	68	मध्यप्रदेश राज्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा (राजपत्रित द्वितीय श्रेणी)	PB-3-Rs. 15600-39100+Rs. 5400 G.P.
6	प्रोग्रामर (सीधी भर्ती का पद)	2	—तदैव—	PB-3-Rs. 15600-39100+Rs. 5400 G.P.
	प्रोग्रामर (पदोन्नति का पद)	2	—तदैव—	PB-2-Rs. 9300-34800+Rs. 4200 G.P.
7	सहायक संचालक (प्रशासन)	1	—तदैव—	PB-2-Rs. 9300-34800+Rs. 4200 G.P.
8	वरिष्ठ निज सहायक	1	—तदैव—	PB-2-Rs. 9300-34800+Rs. 4200 G.P.

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम (1)	अनुक्रमांक (2)	पद का नाम (3)	पदों की कुल संख्या (4)	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		
				सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1)क देखिये] (5)	सेवा के मूल सदस्यों को पदोन्नति द्वारा अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 6(1)ख देखिये] (6)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति संविलियन द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिये] (7)
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	1	अपर संचालक	1	–	100%	भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी भरा जा सकेगा.
	2	संयुक्त संचालक	11	–	100%	–
	3	उप संचालक/जिला योजना अधिकारी.	45	–	100%	–
	4	चीफ प्रोग्रामर	1	–	100%	–
	5	सहायक संचालक/ जिला सांख्यिकी अधिकारी.	68	25%	75%	–
	6	प्रोग्रामर	4	50%	50%	–
	7	सहायक संचालक (प्रशासन).	1	–	100%	–
	8	वरिष्ठ निज सहायक	1	–	100%	–

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम (1)	अनुक्रमांक (2)	पद का नाम (3)	न्यूनतम आयु सीमा (4)	अधिकतम आयु सीमा (5)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं (6)	अभ्युक्तियां (7)
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	1	सहायक संचालक/ जिला सांख्यिकी अधिकारी.	25 वर्ष	35 वर्ष	(1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र-सांख्यिकी, वाणिज्य या कृषि अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में से किसी एक विषय में द्वितीय श्रेणी में कम से कम स्नातकोत्तर उपाधि. (2) क्षेत्रीय नियोजन एवं आर्थिक विकास में स्नातकोत्तर उपाधि धारिकों को अधिमानता दी जाएगी.	
	2	प्रोग्रामर	25 वर्ष	35 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी संक्रिया अनुसंधान या कम्प्यूटर एप्लीकेशन में से किसी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में बी.ई./बी.टेक में उपाधि. (2) इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य में चार वर्ष के अनुभव के साथ कम्प्यूटर प्रचालन के अनुभव के साथ इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर में प्रचलित भाषाओं में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का एक वर्ष का वास्तविक अनुभव.	

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम (1)	अनुक्रमांक (2)	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है (3)	पदोन्नति हेतु सेवा की न्यूनतम कालावधि (4)	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है (5)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (6)
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	1	संयुक्त संचालक	5 वर्ष	अपर संचालक	1. **अध्यक्ष**, लोक सेवा आयोग/या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—**पीठासीन अधिकारी.**
	2	उप संचालक/जिला योजना अधिकारी.	5 वर्ष	संयुक्त संचालक	2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी—**सदस्य** 3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी—**सदस्य** 4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग—**सदस्य सचिव** 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई नामनिर्दिष्ट समकक्षीय अधिकारी—**सदस्य**
	3	सहायक संचालक/ जिला सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष	उप संचालक/ जिला योजना अधिकारी	—तदैव—
	4	प्रोग्रामर	5 वर्ष	चीफ प्रोग्रामर	—तदैव—
	5	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष	सहायक संचालक/ जिला सांख्यिकी अधिकारी	—तदैव—
	6	सहायक प्रोग्रामर	5 वर्ष	प्रोग्रामर	—तदैव—
	7	अधीक्षक	5 वर्ष	सहायक संचालक (प्रशासन)	—तदैव—
	8	निज सहायक	5 वर्ष	वरिष्ठ निज सहायक	—तदैव—

No. F-1-16-2002-XXIII-E.S..—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and service condition of the members of the Madhya Pradesh State Planning, Economics and Statistical Service (Gazetted), namely :—

RULES

1. **Short title and commencement .**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Planning, Economics and Statistical (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these Rules, unless the context otherwise requires :

(a) "Appointing Authority" in respect of the service or a post means the Government of Madhya Pradesh.

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(c) "Committee" means the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee;

(d) "Examination" means a competitive examination for recruitment to this service held under rule-11 of these rules;

(e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(f) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(g) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens, as specified by the State Government *vide* Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December 1984 as amended from time to time;

(h) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(k) "Service" means the Madhya Pradesh, State Economics and Statistical (Gazetted) service;

(l) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service as mentioned in Schedule I.

4. **Constitution of Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in the officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification Scale of Pay, etc.**—(1) The classification of the Service, the scale of pay attached thereto, and the number of posts included in the service, shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I :

Provided that Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either in a permanent or temporary basis.

(2) Member of the service will be eligible for the benefits of time scale under the provision of the circular issued by the Finance Department Circular No. F.11-1-2008-Niyam-4, dated 24-1-2008.

6. **Method of Recruitment.**—(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment By competitive examination or interview or by both)

(b) By promotion of members of the service specifies in column (4) of Schedule-IV.

(c) By transfer/ deputation of the persons who hold in substantive of officiating capacity such post in such service as may be specified in this behalf by the Government.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not, at any time, exceed the percentage specified in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by Appointing Authority in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the

service so require, the Government may, with prior concurrence of the General Administration Department and Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rules, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.**—All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of Eligibility of Direct Recruitment.**— In order to the eligible for selection/examination a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(1) Age.—

(a) He must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and have not attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/ selection;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class;

(c) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years, to a woman candidate in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Government Services (Special provisions for appointment of women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to that extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate, who is a permanent Government Servant should not more than 40 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 40 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employee, work-charged employees and employees working in the project implementation committee.

(iii) A candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "Retrenched Government Servant'' denotes a person, who was in temporary Government service of this or of any of the constituent units for a continues period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) (i) A candidate who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defence services previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex-Serviceman" denotes a person, who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India, for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service:—

(1) Ex-Serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on—

(a) Completion of short-term engagement.;

(b) Fullfilling the conditions of enrolment;

(3) Such Ex-serviceman from Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military and Civil), discharged on completion of their contact including short service regular commissioned officers ;

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies

(6) Ex-Serviceman invalidated out of Service

(7) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers

(8) Ex-Serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.

(ii) Persons recruited from on 1-1-1963 and onwards as whole time cadets/instructors in the National Cadet Corps shall on release from the National Cadet Corps on the expiry of their initial/extended tenure be regarded as retrenched Government employee for the purpose of emplyment in civil posts of the Government service and may be allowed to deduct from their actual age the period of service rendered by them in National Cadet Corps, and if the resultant age does not exceed the prescribed age limit of a particular post by more than 3 years, they will be deemed to be satisfying the conditions for appointment to that post in respect of the maximum age provided they possess necessary certificate as per instructions contained in the General Administration Department memo No. 1134-CR-88-1(iii)(66), dated 27-5-1996.

(f) The general upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of the widow, destitute and divorced woman candidates;

(g) The upper age limit shall also be relaxable up to maximum two years, in respect of those candidates who are green card holders under the Family Welfare Programme;

(h) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Class Welfare Department;

(i) The upper age limit shall be relaxable up to the five years in respect of the Vikram Award holder ;

(j) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 40 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporations/ Boards.

(k) The general upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home Guards and non-commissioned officers of home guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 3 years but in no case their age should exceed 40 years;

(l) The upper age limit shall be relaxable to the destitute candidates, as per the instructions issued by the State Government from time to time.

Note.—(1) Candidates, who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in rule 8 (1) (d) and (ii) above, shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/ selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall not be relaxed.

Note.—(2) Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the examination/ selection.

(2) **Educational Qualification.**—Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as specified in Schedule-III.

Provided that,—

(a) In exceptional cases, the Commission may, in consultation with the Government, treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualification prescribed in this rules, but has passed examination conducted by other Institutions by such a standard for which the

Commission considers the candidate eligible to appear in the selection/ examination.

(b) Candidates, who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities, being Universities not specifically recognised by the, Government may also be considered for appearing in the examination/selection the discretion of the Commission.

(3) **Fees**.—The Candidate must pay the fees prescribed by the authority/commission.

9. **Disqualification.**—(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, may be held by the Commission to disqualify him for appearing in the examination/selection.

(2) In accordance with the provisions of the rule 5 of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Services) Rules, 1961 no candidate shall be eligible for appointment to a service for post, who has married before the minimum age fix for marriage.

(3) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has more than two living children, one to whom is born on or after 26th day of January, 2001 :

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th day of January, 2001, in which two or more than two children are born.

(4) No a candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence against women :

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case.

(5) (1) No Government employee having a living wife, shall remarry without the permission of the Government even if that subsequent marriage is permissible under the personal law applicable to him.

(2) No women employee of the Government service shall marry a person having a living wife without the permission of the Government.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.**—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/interview shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the commission shall not be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct Recruitment through competitive Examination.**—(1) The competitive examination and interviews for recruitment on Class II Posts to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the Commission, determine from time to time.

(2) The examination shall be conducted by the commission in accordance with such orders, as the Government may from time to time issue in consultation with the commission.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be.

(6) There shall be reserved posts for disabled condidates in accordance with the direction of the General Administration Department.

(7) There shall be reserved post for Ex-serviceman in with the direction of the General Administration Department.

(8) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority/ Commission that there is a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available, the Appointing Authority/Commission may relax such condition of

experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with the Government.

(9) There shall be reserved posts for woman candidates in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (special provision for appointment of woman) Rules, 1997.

(10) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates without prior permission of the Government and vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the next selection.

12. **list of Candidates recommended by the Commission.**—(1) The Commission shall prepare and forward a list to the appointing authority arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as determined by the Commission and a list of the candidates belonging to the Secheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, who though not qualified by that standard are declared by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions fo these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is uitable in all respect for appointment to the service.

(4) The selection list shall be valid for the duration of one year from the date of issue by the Commission, which will be extended for the period of six months by consent with the commission.

13. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by promotion.**—(1) There shall be constituted a committee consisting of members as mentioned in Schedule-IV for making a selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominated members other than the member presiding the departmental promotion committee in respect of the post to be filled upby the promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes Category of the same Status shall be included in the Departmental promotion committee and the number of members of Departmental committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion of the members of service specified in column (3) of Schedule IV to the posts as specified in column (4) thereof the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhde Vargo Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 and Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.

(3) **Certification by the Appointing Authority.**—The appointing authority shall endorse on the promotion order to be used by him a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhde Vargo Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Adhiniyam and the rules made by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Adhiniyam.

(4) The departmental promotion committee shall ordinarily meet at least once in a year.

15. **Condition for Eligibility for Promotion.**—(1) Subject to the provision of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the post from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in Column (5) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rules (2).

Explanation : Manner of cmputation for eligibility for promotions:—

(1) Period of qualifying service on 1st January, of the relevant year, in which departmental

promotion committee is convened shall be counted from the calendar year, in which the public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/post of the service/ pay scale of the post.

(2) For the zone of consideration for promotion, the provisions of the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002 shall apply.

16. **Preparation of List of Suitable candidate.**—(1) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service occurains to the provision of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25 precent of the number of persons included in the said select list shall also be proposed to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid peroid.

(2) The criteria for preparation of select list shall be as per the provisions of Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.

(3) The name of the persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (3) of Schedule IV at the time of preparation of each select list.

Explanation.—A person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reasons for the proposed suppression.

17. **Consultation with the Commission.**—The recommendation of the Departmental Promotion Committee presided over by the Chairman or a member of the commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the constitution and it will not be necessary to consult the commission separately.

18. **Select List.**—(1) The list as finally approved by the Appointing authority shall form the select list for promotion of the member of the service from the post shown in column (3) of Sechedule IV to the post shown in column (4) of the said Schedule.

(2) Select list shall ordinarily be in force for a period of one year until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of Rule 16 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave laps in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the appointing authority and the committee may if deem fit, remove the name of such persons, from the select list.

19. **Appointment to the Service from the Select List.**—1. Appointments of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order, in which the names of such persons appear in the select list.

2. It shall not ordinarily be necessary to consult the commission before the appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for the appointment to the service.

20. **Trial.**—Every person promoted to the service shall be appointed on trial for the period of two years.

21. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules shall apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to the person than that provided in these rules.

23. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/issued by the State Government from time to time in this regard.

24. **Repeal.**—All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

(Classification of Service, Pay Scale and number of Post included in the Service)

S. No. (1)	Name of the Post Included in the Service (2)	Total Number of Posts (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)
1.	Additional Director	1	Madhya Pradesh, State Planning Economics and Statistical Service (Gazetted Class I)	PB-4-Rs. 37400—67000+ Rs. 8700 G.P.
2.	Joint Director	11	—do—	PB-3-Rs. 15600—39100+ Rs. 7600 G.P.
3.	Deputy Director/ District Planning Officer	45	—do—	PB-3-Rs. 15600—39100+ Rs. 6600 G.P.
4.	Chief Programmer	1	—do—	PB-3-Rs. 15600—39100+ Rs. 6600 G.P.
5.	Assistant Director/ District Statistical Officer	68	Madhya Pradesh, State Planning Economics and Statistical Service (Gazetted Class II)	PB-3-Rs. 15600—39100+ Rs. 5400 G.P.
6.	Programmer (Post by Direct Recruitment)	2	—do—	PB-3-Rs. 15600—39100+ Rs. 5400 G.P.
	Programmer (Post by Promotion)	2	—do—	PB-2-Rs. 9300—34800+ Rs. 4200 G.P.
7.	Assistant Director (Administration)	1	—do—	PB-2-Rs. 9300—34800+ Rs. 4200 G.P.
8.	Senior Personel Assistant	1	—do—	PB-2-Rs. 9300—34800+ Rs. 4200 G.P.

SCHEDULE-II

(See Rule 6)

Method of Recruitment

Name of the Department	S. No.	Name of Post	Total Number of Posts	Percentage of posts to be filled by direct recruitment see rule 6(i)a	Percentage of posts to be filled by promotion of Member of the service rule 6(i)b	Temporary by transfer absorption/ deputation of persons from other services see rule 6(i)c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Planning, Economics and Statistics Department	1	Additional Director	1	-	100 percent	May also be filled up on deputation from Indian Economics Service/Indian Statistical Service.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2	Joint Director	11	-	100 percent	-
	3	Deputy Director/ District Planning Officer	45	-	100 percent	-
	4	Chief Programmer	01	-	100 percent	-
	5	Assistant Director/ District Statistical Officer	68	25 Percent	75 percent	-
	6	Programmer	4	50 Percent	50 percent	-
	7	Assistant Director (Administration)	1	-	100 percent	-
	8	Senior Personal Assistant	1	-	100 percent	-

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Name of Department (1)	S. No. (2)	Name of Post (3)	Minimum age limit (4)	Maximum age limit (5)	Prescribed Educational Qualifications (6)	Remarks (7)
	1	Assistant Director/ District Statistical Officer	25 years	35 years	(1) Master Degree in one of the subject viz., Economics, Statistics, Commerce, or Agriculture Economics/ Statistics with atleast second Class from any recognised University. (2) Preference will be given to Post Graduate Degree holders in Regional Planning and economic growth.	
	2.	Programmer	25 years	35 years	(1) Master Degree in Computer Science, Statistics, Operation Research or Computer Application with atleast second division from any recognised University or B.E./B. Tech. Degree in Computer Secience with atleast second division from any recognised Engineering College. (2) Experience of Four years Electronics Data Processing work with experience of Computer operation including one year experience of actual programming in prevalent languages on Electronic Computer.	

SCHEDULE-IV

(See Rule 14)

Name of Department	S. No.	Name of Post from which promotion is to be made	Minimum service period for promotion	Name of Post to which promotion is to be made	Name of members of the departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Planning, Economics and Statistics Department	1.	Joint Director	5 Years	Additional Director	1. Chairman Public Service Commission/ or Nominated by the Chairman as member-Presiding Officer. 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Government of Madhya Pradesh Planning, Economics and Statistics Department-Member. 3. Commissioner, Economics and Statistics—Member. 4. Deputy Secretary, Government of Madhya Pradesh, Planning Economics and Statistics Department-Member Secretary. 5. One nominated Officer of equal rank belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe-Member.
	2.	Deputy Director/ District Planning Officer	5 Years	Joint Director	
	3.	Assistant Director/ District Statistical Officer	5 Years	Deputy Director/ District Planning Officer	—do—
	4.	Programmer	5 Years	Chief Programmer	—do—
	5.	Assistant Statistical Officer	5 Years	Assistant Director/ District Statistical Officer.	—do—
	6.	Assistant Programmer	5 Years	Programmer	—do—
	7.	Superintendent	5 Years	Assistant Director/ (Administration)	—do—
	8.	Personal Assistant	5 Years	Senior Personal Assistant.	—do—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रभा चौधरी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.